यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. नरेन्द्रनगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार कया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी कसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

अ धशासी अ भयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. नरेन्द्रनगर के माह 07/2016 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री आर.एन.यादव, श्री राजेश डोभाल एंव डी.के.मट्टू सहायक लेखा परीक्षा अ धकारियों द्वारा दिनांक 18/12/2017 से 29/12/2017 तक श्री सुधीर श्रीवास्तव वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी के अंशकालीन पर्यवेक्षण दि. 29/12/2017 में सम्पादित कया गया।

भाग-I

1. परिचयात्मकः इस इकाई की वगत लेखापरीक्षा श्री भीमसेन संह एंव मनोज खंडूरी सहायक लेखापरीक्षा अ धकारी एंव अक्षय रुडोला लेखापरिक्षक द्वारा दिनांक 25/07/2016 से 04/08/2016 तक दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अ धकारी/लेखापरीक्षा अ धकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 09/2015 से 06/2016 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी थी।

   वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2016 से 11/2017 तक के लेखा अ भलेखों की जांच की गयी।

   (i) इकाई के क्रयाकलाप एवं भौगो लक अ धकार क्षेत्रः वधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में मार्ग एंव पुलों का निर्माण ।

   (ii) (अ) वगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आ धक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना `	गैर स्थापना `	आवंटन `	व्यय `	आवंटन `	व्यय `		
2014-15	-	-	405.00	405.00	4016.17	4017.94	1.77	-
2015-16	-	-	439.25	439.25	3437.03	3439.47	-	1.56
2016-17	-	-	446.66	446.66	5328.26	5327.47	-	0.69
2017-18	-	-	477.55	366.31	2658.47	2365.77	-	292.70

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त नि ध एवं व्यय ववरण निम्नवत हैः

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय `	व्यय अ धक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य						

(iii) इकाई को बजट आवंटन उत्तराखण्ड शासन द्वारा कया जाता है। स्थापना व्यय को सम्मि लत न करते हुए इकाई ए श्रेणी की है। वभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

स चव, लोक निर्माण वभाग, उत्तराखण्ड शासन

प्रमुख अ भयन्ता एवं वभागध्यक्ष उत्तराखण्ड, लोक निर्माण वभाग

मुख्य अ भयन्ता, लो.नि. व.

अधीक्षण अ भयन्ता, लो.नि. व.

अ धशासी अ भयन्ता लो.नि. व.

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा व धः लेखापरीक्षा में कार्यालय अ धशासी अ भयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. नरेन्द्रनगर को आच्छादित कया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वतरण अ धकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी कये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन अ धशासी अ भयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. नरेन्द्रनगर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2016 को वस्तृत जाँच हेतु चयनित कया गया। वधानसभा नरेन्द्रनगर के नरेन्द्रनगर-रानीपोखरी मोटर मार्ग का सुदृढीकरण का वस्तृत वश्लेषण कया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के सं वधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अ धनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा वनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

2. अधीक्षण अ भयंता द्वारा वगत लेखापरीक्षा से अब तक की अव ध में दिनांक..... से..... का निरीक्षण कया गया।

3. खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवा षक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वा षक लेखाबन्दी क्रमशः माह 03/17 तथा 09/16 तक की गई।
4. फार्म 51: माह 11/17 तक कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रे षत कया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द् वतीय के अवशेष निम्नवत हैः-

   भाग प्रथम - 850.00

   भाग द् वतीय - ₹ 2509554.00

5. खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 11/2017 के अन्त में

   (क) प्रकीर्ण निर्माण अ ग्रम - ₹ 6449963.00

   (ख) सामग्री क्रय –

   (ग) नगद परिशोधन -

   (घ) निक्षेप- ₹ 44755356.00

   (ङ) भण्डार- ₹ 6622718.00

भाग दो ‘अ’

- शून्य -

भाग–दो 'ब'

प्रस्तर 1: ` 7.02 लाख का व्ययावर्तन कया जाना।

लोक निर्माण वभाग द्वारा बनाये गए मोटर मार्गों पर यदि कोई सरकारी /प्राइवेट संस्थान जैसे/जल निगम, दूरसंचार की कंपनी आदि के द्वारा मोटर मार्गों पर केबल /पाइप लाइन बिछाने के लए मोटर मार्गों पर जो कटिंग का कार्य कया जाता है, उसके एवज में मार्गों पर कटिंग वाले स्थानों पर मरम्मत कराने हेतु 'रोड कटिंग चार्जेस' के रूप में धनरा श संबन्धित वभाग दुवारा खण्ड को प्रदान की जाती है।

अ धशासी अ भयंता निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग, नरेन्द्रनगर के लेखा अ भलेखों की जांच में पाया गया क डपॉज़िट रजिस्टर के अनुसार 2016-17 रोड कटिंग चार्जेस' के मद ` 26,94,193.00 की धनरा श अवशेष थी। माह मार्च 2017 में खण्ड द्वारा 889011.00 का भुगतान रोड कटिंग चार्जेस' की मद से कया गया जिसमे से `1 ,87,400.00 का व्यय मद के अंतर्गत वट्ठलदास आश्रम मोटर मार्ग मे पक्की नाली का निर्माण कार्य करवाया गया जब क शेष `7 ,01,611.00 धनरा श का व्यय अन्य कार्यो पर कया गया। जो क नियम के वरुद्ध हैं। चूं क 'रोड कटिंग चार्जेस' मार्गो पर कटिंग वाले स्थानो पर मरम्मत करने हेतु वभाग को दी जाती हैं। अतः उक्त धनरा श से कटिंग करने वाले स्थानों की मरम्मत में व्यय की जानी चाहिए थी। इस संबंध में खण्डीय लेखा धकारी द्वारा भी आगाह कया गया था जिसे खण्ड द्वारा अनदेखा कया गया।

इस संबंध खंड द्वारा अवगत कराया गया है क उक्त कार्य अत्यंत आवश्यक थे जिसे करवाया जाना आवश्यक था रोड कटिंग चार्जेस मद मे प्राप्त धनरा श क आकस्मिक एवं बचत से कार्य करवाया गया। कार्य शासकीय हित मे करवाया गया। खंड का उत्तर मान्य नहीं हैं। धनरा श दूसरे कार्यो पर भारित कया गया हैं जो नियमानुसार सही नहीं हैं।

अत:` 7.02 लाख का व्ययावर्तन कये जाने का प्रकरण उच्च धकारियों के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

भाग–2 (ब)

प्रस्तर 2 : कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा का आमंत्रित किया जाना तथा ठेकेदार के बिलों से रू0 1.21 लाख की कम रायल्टी कटौती किये जाने के कारण राजस्व की हानि।

अर्द्धकुम्भ मेला 2016 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में विठ्ठलदास आश्रम मोटरमार्ग के कि0मी0 1.00 में 50 मीटर विस्तार के डबल लेन क्लास एए लोडिंग डबल लेन प्रीस्ट्रेस सीमेन्ट कंक्रीट मोटर सेतु का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 80/IV(3)/4(08)/2014दिनांक 08. 01.2015 के द्वारा लागत रू0 551.84 लाख की प्राप्त हुयी थी।उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(ग0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा पत्रांक : 421/8(61) याता0–ग0क्षे0/2014 दिनांक 20–02–2015 के माध्यम से लागत रू0 551.84 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर के अभिलेखों की नमूना जांच (माह 12/2017) में पाया गया कि :

- कार्य की प्रशासनिक एव ंवित्तीय स्वीकृति रू0 551.84 लाख की दिनांक 08.01. 2015 को प्राप्त हुई थी तथा कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता(ग0क्षे0), लोक निर्माण विभाग, पौड़ी द्वारा पत्रांक : 421/8(61) याता0–ग0क्षे0/2014 दिनांक 20–02–2015 के माध्यम से लागत रू0 551.84 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जबकि कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा कार्य की प्राविधिक स्वीकृति से पूर्व ही निविदा दिनांक 29.10.2014 को तथा पुनः दिनांक 31.12.2014 को आमंत्रित की गयी।
- कार्य निष्पादन हेतु ठेकेदार के बिल से (As per IVth& Final Bill Voucher no. 204 dt 18.10.2016)मात्र रू0 293502.00 की रायल्टी की कटौती की गयी थी, जबकि निष्पादित कार्य मात्रा के लिये कुल रू0 536058. 00 की रायल्टी तत्समय लागू दर से देय थी, इस प्रकार ठेकेदार के बिलों से

रू0 242555.80 की कम रायल्टी कटौती किये जाने के कारण राजस्व की हानि पहुचाई गयी। जिसका विवरण निम्नप्रकार है :–

Table - Consumption of Material and Royalty Statement

Name of material	Consumption of Material (cum)	RoyaltyRate Rs./cum	Amt. of Royalty (2×3=4)
1.	2.	3.	4.
Sand	545.56	110.11	60071.61
Stone	2189.75	110.11	241113.37
Stone Grit	0	110.11	0.00
RBM	547.41	110.11	60275.32
E&B	3391.56	51.48	174597.50
		Total Due Royalty Rs.	536057.79
		Says Rs.	536058.00
		Royalty Deducted Rs.	293502.00
		Balance Amt. of Royalty Rs.	242556.00

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि कुम्भ मेला से सम्बन्धित अति महत्वपूर्ण होने के कारण समय की बचत करते हुये निविदा आमन्त्रित की गयी, अनुबन्ध प्रशासनिक वित्तीय एवं तकनीक स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त गठित कर कार्य प्रारम्भ कराया गया तथा कार्य दिनांक 02/02/16 को पूर्ण हो चुका था तद्समय रायल्टी की दर 90रू0 उसी दर से उसकी रायल्टी की कटौती की गयी है। खण्ड का उत्तर मान्य नही था क्योकि उत्तराखण्ड उपखनिज नीति के अनुसार रायल्टी की दरें तुरन्त प्रवृत्त/लागू थी तथा जिस समय (IVth& Final Bill Voucher no. 204 dt 18.10.2016)बिल का भुगतान किया गया उक्त संशोधित रायल्टी की दरें देय थी। यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि रायल्टी की पुरानीदर के अनुसार भी रू0 414149.00 की रायल्टी देय थी जबकि उसके सापेक्ष मात्र रू0 293502.00 (रू0 34916.00 + 258586) की ही कटौती की गयी थी तथा अवशेष रायल्टी भुगतान किये जाने का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नही था।

अतः कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा का आमंत्रित किये जाने तथा ठेकेदार के बिलों से रू0 1.20 लाख की कम रायल्टी कटौती किये जाने के कारण राजस्व की हानि का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाताहै।

भाग 2 ब

प्रस्तर 3 : वेतन निर्धारण में वसंगति के कारण ₹3.08 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) का अ धक वेतन भुगतान |

अ धशासी अ भयंता,निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग,नरेंद्रनगरके अ भलेखों की जांच में पाया गया हैं श्री अनिल कुमार,अपर सहायक अ भयंता,श्री दीपक कुमार अग्रवाल,अपर सहायक अ भयंता एवं श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, प्रभारी सहायक अ भयंता की नियु क्त कनिष्ठ सहायक के पद पर2004 मे नियु क्त हुई थी तथा उपरोक्त तीनों अ धकारियो की पदोन्नति अपर सहायक अ भयन्ता के पद पर 2011 को हुई|

उपरोक्त तीनों अ धकारियो की पदोन्नति एक ही वर्ष में अपर सहा.अ भयंता के पद पर हुई थी परन्तु 2011 में अपर सहा.अ भयंता के पद परपदोन्नति के बाद से वेतन निर्धारण में भन्नता पायी गयी हैं| उक्त अ धकारियो के सेवा पुस्तिका के अवलोकन में पाया गया क पदोन्नति के बाद के वेतन का निर्धारण कस आधार पर व कस शासनादेश के अन्तर्गत कया गया था का सही उल्लेख नहीं कया गया था|

श्री दीपक कुमार अग्रवाल,अपर सहायक अ भयंता एवं श्री श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, प्रभारी सहायक अ भयंता को पदोन्नति पर क्रमश मूल वेतन क्रमश: ₹18750/=एवं ₹18150/=दिया गया जब क श्री अनिल कुमार,अपर सहायक अ भयंता को वेतन आयोग के अनुसार ₹17080/= दिया गया था। इस प्रकार अप्रैल 2011को मूल वेतन ₹17080/= निर्धारित करने पर अप्रैल2011सेनवम्बर 2017 तक श्री दीपक कुमार अग्रवाल,अपर सहायक अ भयंताएवं श्री श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, प्रभारी सहायक अ भयंता को कुल ₹3.08 लाख (केवल मूल वेतन एवं मंहगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) अ धक वेतन भुगतान कया गया|

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क वेतन निर्धारण की कार्यवाही कर ली गयी हैं। छायाप्रती सलग्ड्क। खंड का उत्तर मान्य नही हैं।क्यो क खंड द्वारा कोई छायाप्रती नही उपलब्ध कराई गयी हैं।

अत: श्री दीपक कुमार अग्रवाल,अपर सहायक अ भयंताएवं श्री श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, प्रभारी सहायक अ भयंता पर ₹3.08 लाख (केवल मूल वेतन एवं महंगाई भत्ता, अन्य भत्तो को छोड़कर) की अ धक वेतन दिए जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–2(ब)

प्रस्तर 4– कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करना तथा निष्पादित कार्य के लिये देय रायल्टी रू0 17.71 लाख की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किया जाना।

माननीय मुख्यमंत्री घोषणा संख्या– 680/2014 के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र नरेन्द्रनगर में नरेन्द्रनगर रानी पोखरी मोटर मार्ग का डेढ़ लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य (लम्बाई 17.00 कि0मी0) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या : 1176/।।।(2)/15–06(मु0मं0घो0)/2014 दिनांक 27.03.2015 के द्वारा लम्बाई 17.00 किमी0 व लागत रू0 2963.27 लाख की प्राप्त हुयी थी।उक्त कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी द्वारा पत्रांक : 1114/ /याता0–2015 दिनांक 10–07–2015 के माध्यम से लागत रू0 2704.00 लाख की प्राविधिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य निष्पादन हेतु अनुबन्ध संख्याः 13/SE-8/2014-15 Dated 29.10.2015 ठेकेदार–मैसर्स ए0पी0 एण्ड एसोसिएट्स, 55, अम्बा एन्क्लेव, जिला–बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश के साथ गठन किया गया, जिसके अनुसार अनुबन्धित लागत रू0 110142611.70 एवं आगणित लागत रू0 113609348.07 थी तथा कार्य प्रारम्भ की तिथि 29.10.2015 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 28.07.2016 थी।

अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, नरेन्द्रनगर के अभिलेखों की नमूनाजांच (माह 12/2017) में पाया गया कि :

- कार्य की प्राविधिक स्वीकृति मुख्य अभियन्ता, टिहरी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी द्वारा पत्रांक : 1114/ /याता0–2015 दिनांक 10–07–2015 के माध्यम से लागत रू0 2704.00 लाख की प्रदान की गयी थी। जबकि कार्य हेतु निविदा दिनांक 30.06.2015 को ही आमंत्रित की गयी।
- निविदा कार्य की 33 मदों के लिये आमंत्रित की गयी थी जबकि कार्य की केवल प्रथम 20 मदों को ही लेते हुये अनुबन्ध गठित किया गया अन्य मदों

को Deleted किया गया, जबकि छोड़ी गयी मदों का कार्य उक्तअनुबन्ध के तहत ही अतिरिक्त मद के रूप में कराया जा रहा था।

- कार्य निष्पादन में सातवें चलित देयक बाउचर संख्या 24 दिनांक 24.07.2017 तक 11499.43 cumमात्रा उपखनिज को प्रयुक्त किया गया था, जिसका **तत्समय** लागू दर रू0 1.84/घनमी0 से रायल्टी रू0 1770912.00 देय होती है। रायल्टी का प्रत्येक भुगतान बिल से अविलम्ब कटौती की जानी चाहिये जिससे राजस्व का समय से वसूली हो सके परन्तु आतिथि तक कार्य प्रारम्भ की तिथि के 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चातभीकार्य के लिये कोई रायल्टी की कटौती खण्ड द्वारा नही की गयी थी और ना ही ठेकेदार द्वारा रायल्टी भुगतान किये जाने का कोई रसीद खण्ड को प्रस्तुत किया गया था।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किये जाने पर खण्ड ने तथ्यों की पुष्टि करते हुये अवगत कराया कि राज्य योजना में सीमित संसाधनों के कारण मदों को Delete किया गया था, तद्समय जो आवश्यक कार्य थे उन मदों हेतु अनुबन्ध गठित किया गया था, Deleted मदों का कार्य Extra Item के रूप में सक्षम अधिकारी के अनुमोदन उपरान्त कराया जा रहा है तथा रायल्टी के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि ठेकेदार द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रायल्टी के कागज प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया था यदि रायल्टी के पेपर प्रस्तुत नही किये जाते है तो ठेकेदार के अगले देयक से रायल्टी वसूली जायेगी। खण्ड के उत्तर से स्वयं लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि होती है कि आतिथि तक कार्य प्रारम्भ की तिथि के 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात भी कार्य के लिये कोई रायल्टी की कटौती नही की गयी थी और ना ही ठेकेदार द्वारा रायल्टी भुगतान किये जाने का कोई रसीद खण्ड को प्रस्तुत किया गया था जबकि राजस्व को समय से वसूली किया जाना चाहिये।

अतः कार्य की प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने से पूर्व ही निविदा आमंत्रित करने तथा निष्पादित कार्य के लिये देय रायल्टी रू0 17.71 लाख की वसूली ठेकेदार के बिल से नही किये जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर **1:** 64.49 लाख प्रकीर्ण अ ग्रम का वसूली / समायोजन हेतु लम्बित रहना।

अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड लोक निर्माण वभाग नरेन्द्रनगर के अ भलेखों की जांच में पाया गयि क खण्ड के प्रकीर्ण अ ग्रम मद में मार्च 2007 से दिसम्बर 2017 तक धनरा श 64.49 लाख वभाग, कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली / समायोजना हेतु कोई प्रयास नहीं कया गया था। अतः 10 वर्ष (2007 से दिसम्बर 2017 तक) के बाद भी खण्ड द्वारा इनकी वसूली नहीं कया गया आगे ये भी देखा गया क कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों के वरूद्ध दिये गये अ ग्रमों की वसूली / समायोजना खण्ड द्वारा नहीं कया जा रहा है एवं प्रकरण को वभाग के उच्चा धकारियों एवं शासन के संज्ञान में न तो पूर्व में और न ही वर्तमान में लाया गया है। इस सन्दर्भ में वभाग से पूंछा गया क कन कारणों से इन वगत 3 वर्षों में खण्ड द्वारा कतने कर्मचारी, फर्मों तथा ठेकेदारों से कुल दिये गये अ ग्रमों की वसूली / समायोजन प्रकीर्ण अ ग्रम मद में कया गया है। खण्ड द्वारा प्रकीर्ण अ ग्रम मद में पड़ी रा श को जल्द वसूलने हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है। क्या खण्ड द्वारा स संबंध में जिला अ धकारी को वसूली कए जाने हेतु लखा गया है? वभाग ने उत्तर में बताया क प्रकीर्ण अ ग्रम की वसूली हेतु संबं धतो से पत्राचार कया जा रहा है, कार्यवाही की जा रही है अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर 2: प्राप्त धनरा शयों से **Deposit** कार्यों पर अ धक व्यय कया जाना।

वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के पैरा संख्या 580 में निहित प्रावधानों के वपरीत उपरोक्त Deposit कार्य पर प्राप्त धनरा श से अ धक व्यय कया गया अ धशासी अ भयन्ता, निर्माण खण्ड, लोक निर्माण वभाग, नरेन्द्रनगर (टिहरीगढ़वाल) के निक्षेप मद भाग-III के अ भलेखों की जांच में पाया गया क खण्ड को निक्षेप कार्य हेतु संबं धत वभाग से धनरा श प्राप्त हुई थी, परन्तु खण्ड द्वारा 12 कार्यों पर प्राप्त धनरा शयों से 45,28,426/- अ धक व्यय कया गया जो निक्षेप मद में 12/991 से पड़ा हुआ है। वत्तीय हस्त पुस्तिका भाग 6 के 580 में निहित प्रावधानों के क्या इस संबंध में क्लाईंट वभाग से पूर्व में सहमति नहीं ली गयी थी इन कार्यों की पत्रावली लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई अतः ये कार्य अभी तक अपूर्ण है इन कार्यों को कब क्लाईंट वभाग को हस्तांतरित कया गया है। वभाग से पूंछे जाने पर वभाग ने उत्तर में बताया क अ भलेखों की छानबीन कर ऋणात्मक मदों के समायोजन की कार्यवाही कर ली जायेगी। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

प्रस्तर-3: प्रतिभूति धनरा श (**Security Deposit)** की प्रत्याहरण**(Refund)** के संबंध मे।

अगस्त 2014 से पूर्व सामान्य ठेकेदार से प्राप्त प्रतिभूति धनरा श कोषागार मे जमा होती थी तथा कार्य की समाप्ति पर ठेकेदार को वापस कर दी जाती हैं। माह सतंबर 2014से ठेकेदारो के देयकों का भुगतान कोषागार के माध्यम से ऑन लाइन कया गया। ऑन लाइन भुगतान मे ठेकेदार के देयकसे कटौती की जा रही प्रतिभूति धनरा श भी सीधे ई-चेक के माध्यम से कोषागार मे जमा हो रही हैं।

खंड कीनिक्षेप पंजिकाओ की जांच मे पाया गया हैं क निक्षेप के Part-II के अनुसार ` 2,50,74,633.00(दो करोड़ पचास लाख चोहतर हजार छह सौ तैतीस रुपये मात्र) के प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जाना शेष था।जब क नवंबर 2017 के अंत मे `1,00,89,622.00शेष था। इस प्रकार अगस्त 2014 से नवम्बर 2017 तक ` 1,49,85,011.00की प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जा चुका था। ठेकेदारो को प्रतिभूति धनरा श के वरुद्धधनवाटन उपलब्ध न होने के कारण भुगतान नही कया गया हैं।

इस ओर इं कत कए जाने कए जाने पर खंड द्वारा अवगत कराया गया क सी. सी. एल. क बचत से प्रतिभूति धनरा श का भुगतान कया जा रहा हैं। प्रतिभूति धनरा श का भुगतान करने हेतु उच्चा धकारियों को धनवाट्न हेतु लखा गया हैं। खंड का उत्तर मान्य नही हैं।

अत :अगस्त 2014 से पूर्व ठेकेदारोसे प्राप्त प्रतिभूति धनरा श ` 1008622.00 (एक करोड़ उचालीस लाख फचासी हजार ग्यारह रुपये मात्र)का प्रत्याहरण(Refund) नही कये जाने का प्रकरण शासन के संज्ञान मे लाया जाता हैं।

STAN

प्रस्तर 4: उप खनिजो पर `45.66 लाख की कम रायल्टी वसूला कया जाना।

उत्तराखण्ड शासन, औद्यो गक वकास अनुभाग-2 संख्या 211/VII-II-13/24-ख/2007 दिनांक 26फरवरी 2016तथा संख्या-842/VII-I/2016//24-ख/2007 दिनांक 19 मई 2016के अ धसूचना का स्तम्भ -1 में उल्लि खत उपखनिजों पर रायल्टी दरों को स्तम्भ -2 के अनुसार प्रतिस्था पत /संशो धत कया गया था, तथा यह स्पष्टतः उल्लि खत था क यह अ धसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत होगी।

अ धसूचनानुसार खण्डास बोल्डर्स तथा बालू मोरंग या बजरी पर दिनांक 26.02.2016-से 18.05.2016तक`194.50, दिनांक 19.05.2016-से 27.10.2016तक` 154.00प्रति घन मीटरसंशो धत/वृद् ध कया गया था। उक्त के परिप्रेक्ष में अ धशासी अ भयंता,निर्माण खंड, लोक निर्माण वभाग,नरेंद्र नगर कार्यालय के संबं धत अ भलेखों,माप पुस्तिकायें एवं भुगतान वपत्र प्रमाणको की जॉच में पाया क उक्त ल खत अ धसूचनानुसार उपखनिजों हेतु संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती मार्च 2016 से मई 2016 मे नही की गई थी। खण्ड के द्वारा मार्च 2016 से मई 2016 मे कुल ` 45.05लाख कटौती कर जमा कया गया था जब क संशो धत दरों से रायल्टी की कटौती की जाती तो ` 89.71लाख रायल्टी के रूप में राजस्व प्राप्त होती अर्थात (` 89.71लाख -` 45.05लाख =`45.66 लाख) ` 45.66लाख की राजस्व की कम वसूली की गयी।

उक्त को इ गंत करने पर खण्ड ने उत्तर मे उल्लि खत कया क शासनादेश की प्रति खंड मे समय से प्राप्त न होने के कारण सशो धत दरो से रॉयल्टी की कटौती नही की गयी थी आगे यह भी बताया गया की अ धकांश भुगतान उन देयकों के है जिनके कार्य शासनादेश लागू होने से पूर्व समाप्त कए गए हैं। खण्ड का उत्तर मान्य नही है क्यों क देयकों के भुगतान के ति थ को, जो भी रॉयल्टी की दर होती है।, उसी दर से रॉयल्टी की कटौती की जाती हैं। अतः संशो धत दरों से ही रायल्टी की कटौती की जानी चाहिए थी। अत :` 45.66लाख रायल्टी की कम वसूली का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का ववरण

क्रम सं.	निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	स्टैन
1	244/1990-91	-	2	
2	200/1991-92	1	3	
3	200/1992-93	-	1	
4	260/1993-94	-	2	
5	66/1995-96	1	-	
6	22/1996-97	1	2	
7	29/1997-98	-	1	
8	59/1998-99	2	2	
9	135/1999-2000	-	1	
10	11/2000-01	1	-	
11	39/2001-02	3	-	
12	26/2003-04	-	1	
13	31/2004-05	-	4	
14	52/2005-06	1	2	
15	21/2006-07	-	2	
16	26/2007-08	-	3	
17	58/2008-09	2	2	
18	32/2011-12	1	3	
19	39/2014-15	-	1,2,3,4,5	
20	65/2015-16	-	1,2,3,4,5	
21	42/2016-17	1	1,2,3,4	

वगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
			खण्ड द्वारा अवगत कराया गया क उच्च धकारियों के संज्ञान में लाने के बाद प्रस्तरों कों महालेखाकार कार्यालय में प्रस्तुत कया जायेगा।	-

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अव ध में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अ भलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अ धशासी अ भयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. नरेन्द्रनगर तथा उनके अ धकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथा प लेखापरीक्षा में निम्न ल खत अ भलेख प्रस्तुत नहीं कये गयेः

(i)

2. सतत् अनिय मतताएः

(i)

3. कार्यालय गठन से निम्न ल खत अ धकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन कया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम	
(i)	श्री आदर्श गोपाल	अ धशासी अ भयंता	28/05/16 से 14/06/16
(ii)	श्री एस.ए खान	अ धशासी अ भयंता	14/06/16 से 31/07/17
(iii)	श्री के. एस. नेगी	अ धशासी अ भयंता	31/07/17 से 28/09/17
(iv)	श्री एम. ए. खान	अ धशासी अ भयंता	28/09/17 से अब तक

(v) वगत संप्रेक्षा से अब तक निम्न ल खत खण्डीय लेखा धकारी खण्ड से संबंद्ध रहे।

1. श्री ब्रह्मदत जोशी 01/08/16 से अब तक

लघु एवं प्र क्रयात्मक अनिय मतताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मि लत कर एक प्रति अ धशासी अ भयंता निर्माण खण्ड, लो.नि. व. नरेन्द्रनगर को इस आशय से प्रे षत कर दी जायेगी क अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार, आ र्थक क्षेत्र-2, कार्यालय महालेखाकार(लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, इन्दिरा नगर, देहरादून को प्रे षत कर दी जांय।

लेखापरीक्षा अ धकारी

आ र्थक खण्ड-II